न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2003/5856/अलवर

बुद्धिलाल पुत्र श्री नेहन जी, आयु 35 वर्ष, जाति माली, निवासी नहराडा का बास, तन सुण्डाना, तहसील कठूमर, जिला अलवर

..................अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती शांति पुत्री श्री रामलाल पत्नी श्री जमना प्रसाद, जाति माली, निवासी कृष्णा कॉलोनी, हाऊसिंग बोर्ड के पीछे, लोध का नगला, भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर
2. नेहन जी पुत्र श्री सोन्य, जाति माली, निवासी नहराडा का बास, तन सुण्डाना, तहसील कठूमर, जिला अलवर
3. उप पंजीयक महोदय, कठूमर, जिला अलवर

...............रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष
श्री नत्थूराम सदस्य

उपस्थित

श्री अजीत राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 – उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक : 12.6.19.

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर (जिसे आगे **''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी''** कहा जायेगा) के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–11–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया / रेस्पो0 संख्या 1 ने एक राजस्व वाद वास्ते घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्व विद्वान सहायक कलक्टर, कठूमर, जिला अलवर (जिसे आगे **''विचारण न्यायालय''** कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुण्डाना स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 519, 520, 622 लगायत 625, 627, 628 एवं 487 लगायत 495 व 500 लगायत 507 में वादीया के बाबा श्री सोन्या का 1/8 हिस्सा निहित था तथा खसरा नम्बर 453 व 454 में श्री सोन्या का 2/3 हिस्सा निहित था। वादीया के बाबा श्री सोन्या के 4 पुत्र रामलाल, कल्लू, शोभाराम व नेहन जी हुए। रामलाल व कल्लू फौत हो चुके है। **मृतक रामलाल की एक मात्र वारिस वादीया है** एवं शोभाराम एवं नेहन जी आज दिनांक स्वयं जीवित है अर्थात् वादीया के बाबा श्री सोन्या के हिस्से की आराजीयात में रामलाल के 1/4 हिस्से की अधिकारिणी वादीया है। वादीया के अतिरिक्त श्री रामलाल के अन्य कोई वारिस नहीं है। अतः रामलाल के हिस्से की आराजीयात का वादीया को खातेदार घोषित किया जावे क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने श्री रामलाल को बहला फुसलाकर रामलाल के हिस्से की आराजीयात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.06.96 को प्रतिफल राशि रू. 1,30,000/– प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने क्रय कर कब्जा कर लिया। अतः उक्त विक्रय पत्र को भी नल एण्ड बोइड करार दिया जावे। उक्त वाद का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार श्री सोन्या पुत्र श्री भंभू था जिसकी मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजीयात उनके 4 पुत्रों पर धारित हुई, जिनमें से श्री कल्लू ने कुछ आराजीयात धनसिंह एवं श्री मनोहरी को बेचान कर दी जिस पर वे काबिज काश्त हैं और शेष हिस्सा श्री कल्लू के वारिसान की खातेदारी में दर्ज होकर वे काबिज काश्त चले आ रहे है एवं श्री रामलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की आराजीयात जिस बाबत् वादीया ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है जरिये पंजीकृत विक्रय पर दिनांक 22.06.96 को प्रतिवादी संख्या 1

को बेचान कर कब्जा व दखल सौंप दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामांतरकरण संख्या 524 दिनांक 25.07.96 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया तब से प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामलाल के हिस्से की आराजीयात पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है एवं पुत्रियों को पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है एवं विवादित भूमि वादीया के पिता श्री रामलाल द्वारा अपने जीवनकाल में बेचान की जा चुकी थी ऐसी स्थिति में वादीया को वाद लाने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता है। इतना ही नहीं उक्त भूमि बाबत् वाद लाने का कोई वाद कारण वादीया को दिनांक 02.05.98 का कतई उत्पन्न नहीं हुआ एवं उक्त वाद वास्ते घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत करने के बावजूद भूमि धारक को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है और ना ही स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में समस्त सह खातेदारान को पक्षकार ही बनाया गया है ऐसी स्थिति में उक्त वाद अपूर्ण होकर प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त फरमाया जावे। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा कुल 7 तनकीयात मुर्तिब की गई तथा निर्णय दिनांक 19.01.01 द्वारा वाद डिक्री कर दिया जिसके विरूद्व अपीलांट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश अन्तर्गत द्वितीय अपील दिनांक 21.11.03 को खारिज कर दी इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति थी तथा पक्षकारान का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में मात्र पुत्र को पिता के जीवनकाल के दौरान जन्म से हिस्सा प्राप्त होता है, पुत्री एवं पत्नी को नहीं तथा पिता की मृत्यु के बाद पुत्र एवं पुत्रियां पिता के हिस्से की आराजीयात में से बराबर हिस्सा प्राप्त करते है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पिता के जीवनकाल के दौरान ही पुत्री को संयुक्त

हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हिस्सा प्राप्त होना माना है जो कि विधिसम्मत नहीं है। जहॉ तक बैयनामा बहला फसलाकर करवाये जाने का बिन्दु है, इस बिन्दु पर विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती। इन्होंने यह भी कथन किया कि समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे वाद चलने योग्य नहीं था। इन्होंने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में इन्होंने आर बी जे 2012 पेज 172 (एस.सी.), आर आर डी 1981 पेज 47, आर आर डी 2003 पेज 423 (एच.सी.), आर आर डी 1996 पेज 361 (एच.सी.), आर आर डी 1983 पेज 676, आर आर डी 1989 पेज 102, आर आर डी 1994 पेज 230, की नजीरें पेश की।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक महोदया ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि विवादित भूमि रामलाल के हिस्से में थी, पुश्तैनी भूमि है तथा रामललाल के पिता सोन्या के खातेदारी में थी वह उसकी मृत्यु के पश्चात रामलाल के हिस्से में आई, चूंकि रामलाल के अन्य कोई संतान नहीं थी, ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीनी को उसके भूमि में अधिकार प्राप्त हो गए। रामलाल को समस्त भूमि का विक्रय करने का अधिकार नहीं था, उसे केवल अपने हिस्से की आधी भूमि बेचने का ही अधिकार था। रामलाल द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र वादीया के हिस्से तक अवैध है। इन्होंने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत बताते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में 2018 (2) आर आर टी 976 की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. हस्तगत प्रकरण में वादीया का वाद इस कथन पर आधारित था कि विवादित भूमि उसके दादा सोन्या के नाम थी जो विरासतन उसके पिता रामलाल को हिस्से के अनुसार प्राप्त हुई। रामलाल ने यह भूमि विक्रय पत्र दिनांक 22.06.96 द्वारा प्रतिवादीगण को

विक्रय कर दी। वादीया का कथन है कि विवादित भूमि पैतृक होने के कारण उसका जन्म से इसमें हिस्सा है जिसे उसके पिता को सम्पूर्ण भूमि बेचने का अधिकार नहीं था जिससे उसके हिस्से की सीमा तक उसे खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जावे। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पैतृक सम्पत्ति में पुत्री का जन्म से हक व हिस्सा माना है। अपीलार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन वर्ष 2005 में किया गया है जिससे इससे पूर्व पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में हिस्सा नहीं होता। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन से पूर्व पिता के जीवनकाल में पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में हक व हिस्सा था या नहीं तथा यदि पिता ने जीवनकाल में सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी है तो विक्रय पत्र का क्या प्रभाव है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 8538/2011 (एस.एल.पी. (सी) नम्बर 9586/2010) गण्डूरी कोटेश्वरम्मा व अन्य बनाम चकीरी यानादी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2011 (आर बी जे (19) 2012 पेज 172) निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :–

> 12. 1956 Act is an Act to codify the law relating to intestate succession among Hindus. This Act has brought about important changes in the law of succession but without affecting the special rights of the members of a Mitakshara Coparcenary. The Parliament felt that non-inclusion of daughters in the Mitakshara Coparcenary property was causing discrimination to them and, accordingly, decided to bring in necessary changes in the law. The statement of objects and reasons of the 2005 Amendment Act, inter alia, reads as under :
>
> "…….The retention of the Mitakshara Coparcenary property without including the females in it means, that the females cannot inherit in ancestral property as their male counterparts do. The law by excluding the daughter from participating in the coparcenary ownership not only contributes to her discrimination on the ground of gender but also has led to oppression and negation of her fundamental right of

equality guaranteed by the Constitution. Having regard to the need to render social justice to women, the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra have made necessary changes in the law giving equal right to daughters in Hindu Mitakshara Coparcenary property."

13. With the above object in mind, the Parliament substituted the existing Section 6 of the 1956 Act by new provision vide 2005 Amendment Act. After substitution, the new Section 6 reads as follows :

> "6 Devolution of interest in coparcenary property - (1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of the coparcener shall,-
>
> (a) By birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
>
> (b) Have the same right in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
>
> (c) Be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara Coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:
>
> Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20-12-2004.
>
> (2) Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of sub-section (1) shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force in, as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition.

(3) Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the coparcenary property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place and, -

(a) The daughter is allotted the same share as it allotted to a son;

(b) The share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as they would have got had they been alive at the time of partition, shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter; and

(c) The share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter, as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition, shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as the case may be.

Explanation. - For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.

(4) After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, no Court shall recognize any right to proceed against a son, grandson or great - grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt:

Provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 nothing contained in this sub-section shall affect -

(a) The right of any creditor to proceed against the son, grandson or great-grandson, as the case may be; or

(b) any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt, and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 had not been enacted.

Explanation - For the purposes of caluse (a), the expression "son" "grandson" or "Great- grandon" shall be deemed to refer to the son, grandson or great-grandson, as the case may be, who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005.

(5) Nohting contained in this Section shall apply to a partition, which has been effectd before the 20.12.2004.

Explanation.- For the purposes of section "partition" means any partition made by execution of a ded of partition duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or partition effected by a decree of a Court."

14. The new Section 6 provides for parity of rights in the coparcenary property among male and female members of a joint Hindu family on and form 09-09-2005. The Legislature has now conferrerd substantive right in favour of the daughter. According to the new Section 6, the daughter of a corparcener becomes a coparcener by birth in her own rights and liabilities in the same manner as the son. The declaration in Section 6 that the daughter of the coparcener shall have same right and liabilities in the coparcenary property as she would have been a son is unambiguous and unequivocal. Thus, on and from

09-09-2005, the daughter is entitled to a share in the ancestral property and is a coparcener as if she had been a son.

15. **The right accrued to a daughter in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara Law, by virtue of the 2005 Amendment Act, is absolute, except in the circumstances provided in the proviso appended to sub-section (1) of Section 6. The excepted categories to which new Section 6 of the 1956 Act is not applicable are two, namely, (i) where th disposition or alienation including any partition has taken palce before 20.12.2004; and (ii) where testamentary disposition of property has been made before 20.12.2004. Sub-section (5) of Section 6 leaves no room for doubt as it provides that this Section shall not apply to the partition which has been effected before 20.12.2004**. For the purposes of new Section 6 it is explained that 'partition' means any partition made by execution of a deed of partition duly registerd under the Registration Act 1908 or partition effected by a decree of a cout. In light of a clear provision contained in the Explanation appended to sub-section (5) of Section 6, for determining the non-applicability of the Section, what is relevant is to find out whether the partition had been effected before 20.12.2004 by deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 or by a decree of a Court. In the backdrop of the above legal position with reference to Section 6 brought in the 1956 Act by the 2005 Amendment Act, the question that we have to answer is as to whether the preliminary decree passed by the trail Court on 19.03.1999 and admended on 27.09.2003 deprives the appellants of the benefits of 2005 Amendment Act although final decree for partition has not yet been passed.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम, 1956 में वर्ष 2005 में किये गए संशोधन के पश्चात संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार है परन्तु धारा 6 में अपवाद है कि यदि भूमि का Disposition or alienation or partition or testamentary disposition

20.12.2004 से पूर्व कर दिया गया हो तो इस संशोधन का उन पर प्रभाव नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 20.12.2004 से पूर्व सम्पत्ति का alienation हो गया है तो उस पर संशोधन का प्रभाव नहीं होगा। प्रकरण में चूंकि वादीनी के पिता रामलाल ने विवादित भूमि का alienation विक्रय पत्र दिनांक 22.06.96 द्वारा कर दिया है जिस पर धारा 6 में संशोधन का प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरीत निर्णय पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं है।

8. विचाराधीन अपील में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से 2018 (2) आर आर टी 976 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायिक दृष्टांत में पिता की मृत्यु 2001 में हो गई थी तथा पिता के दो पुत्रियॉ, दो पुत्र व विधवा को प्रत्येक को 1/5 हिस्से का हकदार माना है परन्तु इस न्यायिक दृष्टांत में पिता ने सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया था तथा पिता की सम्पत्ति में उसकी मृत्यु के पश्चात पुत्रियों को बराबर का हकदार माना है जबकि विचाराधीन अपील में वादीया के पिता ने 22.06.96 को विक्रय पत्र के द्वारा विवादित भूमि का हस्तान्तरण कर दिया था तथा ऐसा हस्तान्तरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (सी) के परन्तुक के अनुसार इस संशोधन से प्रभावित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार यह न्यायिक दृष्टांत में इस प्रकरण में लागू नहीं होता।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष